

प्रमाण,

शिव प्रकाश गुप्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

तखतक: दिनांक: 16 जून, 2005

विषय:- माडर्न पब्लिक स्कूल सिविल लाइन झांसी को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रातिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की प्रजीकृत सीसापटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिभात स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के भेदावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0मा0शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाहित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्वाइलेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0मा0शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

Manager
Modern Public School Shiksha Samiti
JHANSI

PRINCIPAL -----2-
MODERN PUBLIC SCHOOL
JHANSI (U.P.) 284001
SCHOOL No.-70689

- 151 संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा-निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत दिये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की धूल या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

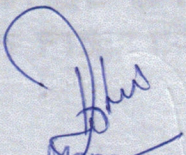
भवदीय,

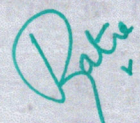
शिव प्रकाश गुप्त ।
संयुक्त सचिव ।

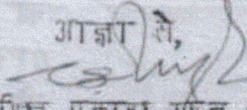
पू0सं0 एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भुवनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, झाँसी ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, झाँसी ।
- 4- निरीक्षक, आंगण भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, माडर्न पब्लिक स्कूल सविनलाइन झाँसी ।
- 6- गार्ड फाइल ।


Manager
Modern Public School Shiksha Samiti
JHANSI


PRINCIPAL
MODERN PUBLIC SCHOOL
JHANSI (U.P.) 284001
SCHOOL No.-70689

आज्ञा से,

शिव प्रकाश गुप्त ।
संयुक्त सचिव ।

उत्तर प्रदेश शासन

शिक्षा (7) अनुभाग

संख्या- 1377 /15-7-07-16(3)/2005

लखनऊ: दिनांक: 18 अगस्त, 2007

कार्यालय-ज्ञाप/संशोधन

माडर्न पब्लिक स्कूल सिविल लाइन, झोंसी को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या-2664/15-7-05-16(3)/2005 दिनांक 16-6-2005 द्वारा प्रदान किया गया था। विद्यालय द्वारा यह अवगत कराया गया है कि विद्यालय सम्प्रति कानपुर रोड, झोंसी में संचालित है। तदनुसार विद्यालय का पता परिवर्तन का अनुरोध विद्यालय प्रबंधक द्वारा किया गया है।

2- उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त विद्यालय के पता परिवर्तन की अनुमति स्तव्वरूप से जाती है। नवीन पते के अनुसार विद्यालय का नाम माडर्न पब्लिक स्कूल कानपुर रोड, झोंसी होगा।

3- अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में पूर्व निर्गत/उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 16-6-2005 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। सिविल लाइन, झोंसी के पते पर उक्त विद्यालय का संचालन पूर्णतया अवैध होगा।

महोदय,

श्रीम सुन्दर अग्निहोत्री,
संयुक्त सचिव।

प्राप्तिका एवं दिनांक पत्र

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, केन्द्रीय मा०शि०परिषद् शिक्षाकेन्द्र-2 समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार, नईदिल्ली।
- 2- शिक्षा निदेशक (मा०) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- संयुक्त शिक्षा निदेशक, झोंसी मण्डल, झोंसी।
- 4- जिला विद्यालय निरीक्षक, झोंसी।
- 5- निरीक्षक, आन्त भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- प्रबंधक, माडर्न पब्लिक स्कूल कानपुर रोड, झोंसी।
- 7- फाईल में।

Manager
Modern Public School Shiksha Samiti
JHANSI

Ravi

PRINCIPAL

MODERN PUBLIC SCHOOL
JHANSI (U.P.) 284001
SCHOOL No.-70689

आज्ञा से,
(संयुक्त)
आज्ञा सचिव।